[2022] 7 एस. सी. आर 378

एम/एस। जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड

वी.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन क्षेत्र

नियामक आयोग और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील सं। 3607-3610 2008)

29 सितंबर, 2022

[अजय रस्तोगी और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

विद्युत अधिनियम, 2003: एस. 14-वितरण लाइसेंस/आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. को 2003 के अधिनियम की धारा 14 द्वारा

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग)-न्यायाधिकरण द्वारा रद्द करना-इसके खिलाफ चुनौती-आयोजितः 2003 के अधिनियम की धारा 14 में कहा गया है कि उपयुक्त आयोग किसी भी व्यक्ति को (ए) पारेषण लाइसेंसधारी के रूप में बिजली संचारित करने के लिए; या (बी) वितरण लाइसेंसधारी के रूप में बिजली वितरित करने के लिए; या (सी) किसी भी क्षेत्र में बिजली व्यापारी के रूप में बिजली का व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जा सकने वाला क्षेत्र-एस के लिए छठा परंतुक। 14 यह बताता है कि उपयुक्त आयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक ही क्षेत्र के भीतर अपनी वितरण प्रणाली के माध्यम से बिजली के वितरण के लिए लाइसेंस दे सकता है, बशर्ते कि आवेदक अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुपालन-आर के लिए स्पष्टीकरण। 3 2005 के नियमों में भारत के संविधान या राजस्व जिले के Art.243 (क्यू) के तहत परिभाषित नगर परिषद या नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को निर्धारित किया गया है-उपयुक्त आयोग द्वारा अधिकृत आपूर्ति का क्षेत्र आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र होगा '-इस प्रकार,' एक ही क्षेत्र के भीतर 'अभिव्यक्ति पूरे नगर परिषद या नगर निगम को संदर्भित नहीं कर सकती है।

या एक राजस्व जिला लेकिन एक नगर निगम के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

परिषद या नगर निगम या एक राजस्व जिला जिसके संबंध में एक वितरण लाइसेंसधारी अधिकृत है-इसलिए अधिकृत 'आपूर्ति का क्षेत्र' 'आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र' होगा-इसलिए, प्रतिवादी सं। 2 कि आपूर्ति के न्यूनतम क्षेत्र में संपूर्ण नगर परिषद या एक नगर पालिका शामिल होनी चाहिए। निगम या राजस्व जिला अस्थिर है-इस प्रकार, जिस क्षेत्र के संबंध में अपीलार्थी को लाइसेंस दिया गया था, वह आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र है और अपीलार्थी आपूर्ति के उक्त क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है-न्यायाधिकरण का निर्णय अलग रखा गया है।

विद्युत नियम, 2005 - आर. 3, स्पष्टीकरण।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. 2003 का अधिनियम, जहां तक धारा 1 से 120 और धारा 122 से 185 का संबंध है, उस पर लागू हुआ।

चिंतित हैं। 2003 के अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसे उत्पादन से संबंधित कानूनों को समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

बिजली का पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग और आम तौर पर बिजली उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय करना, उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करना, बिजली शुल्क को तर्कसंगत बनाना, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करना, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना, केंद्रीय बिजली प्राधिकरण, नियामक आयोगों का गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए। [पैरा 27] [407-बी-डी]

2. 2003 के अधिनियम की धारा 14 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि उपयुक्त आयोग, उसे किए गए आवेदन पर,

धारा 15 के तहत किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान करें (ए) पारेषण लाइसेंसधारी के रूप में बिजली संचारित करने के लिए; या (बी) वितरण लाइसेंसधारी के रूप में बिजली वितरित करने के लिए; या (सी) किसी भी क्षेत्र में बिजली व्यापारी के रूप में बिजली में व्यापार करने के लिए, जैसा कि लाइसेंस में निर्दिष्ट किया जा सकता है। विचारधीन छठे परंतुक में कहा गया है कि उपयुक्त आयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक ही क्षेत्र के भीतर अपनी स्वयं की वितरण प्रणाली के माध्यम से बिजली के वितरण के लिए लाइसेंस दे सकता है, बशर्ते कि उसी क्षेत्र के भीतर लाइसेंस देने के लिए आवेदक, अधिनियम के तहत अन्य शर्तों या आवश्यकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूंजी पर्याप्तता से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं का पालन करेगा।

लाइसेंस देने की सभी आवश्यकताओं के साथ, इस आधार पर लाइसेंस देने से इनकार कर दिया जाएगा कि पहले से ही एक लाइसेंसधारी मौजूद है। एक ही उद्देश्य के लिए एक ही क्षेत्र में। [पारस 32 और 33] [412-ए ई]

3. एक ही क्षेत्र के भीतर बिजली वितरण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। वह कौन सा क्षेत्र है जिसके भीतर

दो या दो से अधिक व्यक्तियों को लाइसेंस दिया जा सकता है [2022] 7 एस. सी. आर.

धारा 14 के छठे परंतुक के तहत संबंधित, नियम 3 का स्पष्टीकरण भारत के संविधान या राजस्व जिले के अनुच्छेद 243 (क्यू) के तहत परिभाषित नगर परिषद या नगर निगम के भीतर आने वाले क्षेत्र को निर्धारित करता है। आपूर्ति का क्षेत्र उपयुक्त आयोग द्वारा प्राधिकृत आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र होगा। इस प्रकार, 'आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र' उस क्षेत्र के भीतर आएगा जिसमें एक नगर परिषद या एक नगर निगम या एक राजस्व जिला शामिल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी क्षेत्र या आपूर्ति के क्षेत्र के लिए बिजली की आपूर्ति करने का लाइसेंस जो 'आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र' है, का विस्तार 'नगर परिषद या एक नगर निगम या एक राजस्व जिले' के भीतर आने वाले पूरे क्षेत्र तक होना चाहिए। इस प्रकार, 'एक ही क्षेत्र के भीतर' अभिव्यक्ति पूरे नगर परिषद या नगर निगम या राजस्व जिले को संदर्भित नहीं कर सकती है, लेकिन 'नगर परिषद या नगर निगम के भीतर आने वाला क्षेत्र' या

राजस्व जिला जिसके संबंध में एक वितरण लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति के लिए अपने लाइसेंस द्वारा अधिकृत है। इसलिए, उपरोक्त व्याख्या के अनुसार, अधिकृत 'आपूर्ति का क्षेत्र' 'आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र' होगा। [पैरा 37,40,42] [414-ए-बी, जी-एच; 415-ए, ई-जी]

4. दूसरी ओर, अपीलार्थी को दिए गए लाइसेंस को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को इसके बारे में पता था

तथ्य यह है कि यह अपीलार्थी जे. एस. पी. एल. को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस दे रहा था कि उक्त अपीलार्थी ने एक औद्योगिक पार्क की स्थापना की थी जिसके लिए उसके पास बिजली के वितरण की जिम्मेदारी थी और इसके अलावा, बिजली के वितरण के उद्देश्य से औद्योगिक पार्क में शामिल क्षेत्र में दो और गाँव जोड़े गए थे। वह क्षेत्र जिसके संबंध में लाइसेंस दिया गया था और इस प्रकार आपूर्ति करने के लिए प्राधिकरण प्रदान किया गया था

बिजली आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र है। आपूर्ति का क्षेत्र 'नगर परिषद या नगर पालिका के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र' है।

निगम या राजस्व जिला और तत्काल मामले में, यह एक राजस्व जिला है। चूंकि तत्काल मामले में अपीलार्थी जे. एस. पी. एल. को दिए गए लाइसेंस में अधिकृत आपूर्ति का क्षेत्र 'आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र' है, इसलिए उक्त अपीलार्थी आपूर्ति के उक्त क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है। अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में दर्शाए गए आपूर्ति क्षेत्र के प्राधिकरण के अनुसार बिजली की आपूर्ति की शर्त से पुनः उपयोग नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह भी होगा कि लाइसेंसधारी जिंदल स्टीलेंड पावर लिमिटेड से परे किसी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति नहीं कर सकता है।

वी. छत्तीसगढ़ सेंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन

अनुज्ञप्ति के तहत प्राधिकृत आपूर्ति का अधिकार। यह इस प्रकार है

नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का पहलू

आई. सी. आई. पी. एल. निगम या राजस्व जिले में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें लाइसेंस और प्राधिकरण दिया जा सकता है।सू के संबंधित क्षेत्र के संदर्भ में बिजली का वितरण करें

धोखा दिया। [पैरा 44] [416-ए-ई]

एस. सुंदरम पिल्लई बनाम वी. आर. पट्टाबिरमन (1985) 1 एस. सी. सी. 591: [1985] 2 एस. सी. आर. 643; ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (2009) 15 एस. सी. सी. 570

: [2009] 9 एस. सी. आर. 22; भास्कर श्रची मिश्र धातु लिमिटेड बनाम।

दामोदर घाटी निगम (2018) 8 एससीसी 281:

[2018] 10 एस. सी. आर. 773; केरल संस्थान चेथू

थोझिलाली यूनियन बनाम। केरल राज्य और अन्य। (2006) 4 एससीसी 327: [2006] 3 एस. सी. आर. 420; भारतीदासन विश्वविद्यालय और अन्न। वी. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा और शिक्षा परिषद

ओआरएस। (2001) 8 एससीसी 676: [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 253; पी. महेंद्रन बनाम कर्नाटक राज्य (1990) 1 एससीसी 411: [1989] 2 पूरक। एस. सी. आर. 385; ए. ए. कैल्टन बनाम शिक्षा निदेशक (1983) 3 एस. सी. सी. 33; गोपाल कृष्ण रथ बनाम। एल. आर. (1999) 1 एस. सी. सी. 544 द्वारा एम. ए. ए. बेग (मृत);

भारतीय खनिज उद्योग और अन्य संघ। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. (2017) 16 एस. सी. सी. 186 [2017] 12 एस. सी. आर. 724; हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बनाम। मध्य राज्य प्रदेश (2020) 10 एस. सी. सी. 751; गुजरात विद्युत बोर्ड बनाम। शांतिलाल आर. देसाई [1969] 1 एस. सी. आर. 580; डी. ए. वी. कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी और अन्य। वी. लोक निर्देश निदेशक और अन्य। (2019) 9 एससीसी 185: [2019] 12 एससीआर 549; सी. आई. टी. आंध्र प्रदेश बनाम। एम/एस। ताजमहल होटल, सिकंदराबाद (1971) 3 एससीसी 550: [1972] 1 एससीआर 168; माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बनाम। भारत संघ (1971) 1 एससीसी 85: [1971] 3 एस. सी. आर. 9; रमण दयराम शेट्टी बनाम। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (1979) 3 एस. सी. सी. 489 [1979] 3 एस. सी. आर. 1014; एनर्जी वॉचडॉग बनाम। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य (2017) 14 एस. सी. सी. 80: [2017] 3 एस. सी. आर. 153; थम्पनूर रवि बनाम। चारुपारा रवि (1999) 8 एस. सी. सी. 74: [1999] 2 पूरक। एस. सी. आर. 419; पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड

निवेश कंपनी लिमिटेड बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक (1992) 2 एस. सी. सी. 343; [1992] 1 एस. सी. आर. 406; मुख्य वन संरक्षक [2022] 7 एस.

मामला कानून संदर्भ

[1985] 2 एससीआर 643

संदर्भित किया गया है

पैरा

22.2

[2009] 9 एससीआर 22

संदर्भित किया गया है

पैरा

22.2

[2018] 10 एससीआर 773

संदर्भित किया गया है

पैरा

22.4

[2006] 3 एससीआर 420

संदर्भित किया गया है

पैरा

22.4
पैरा 22.4

[2001] 3 पूरक। एससीआर 253

संदर्भित किया गया है

[1989] 2 पूरक। एससीआर 385

संदर्भित किया गया है

पैरा

22.6

(1983) 3 एससीसी 33

संदर्भित किया गया है

पैरा

22.6

(1999) 1 एस. सी. सी. 544

पैरा

22.6

संदर्भित किया गया है

[2017] 12 एससीआर 724

संदर्भित किया गया है

पैरा

22.6

(2020) 10 एस. सी. सी. 751

संदर्भित किया गया है

पैरा

22.6

[1969] 1 एससीआर 580

पैरा

22.6

संदर्भित किया गया है

[2019] 12 एससीआर 549

संदर्भित किया गया है

पैरा

22.8

[1972] 1 एससीआर 168

संदर्भित किया गया है

पैरा

22.8

[1971] 3 एस. सी. आर 9

पैरा

22.8

संदर्भित किया गया है

[1979] 3 एससीआर 1014

संदर्भित किया गया है

पैरा

22.9

[2017] 3 एससीआर 153

संदर्भित किया गया है

पैरा

22.9

[1999] 2 पूरक। एससीआर 419

संदर्भित किया गया है

पैरा

25.3

[1992] 1 एससीआर 406

पैरा

25.5

संदर्भित किया गया है

[2003] 2 एससीआर 196

पैरा

25.5

एम/एस को संदर्भित किया गया।

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। वी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

[2003] 6 पूरक। एससीआर 1212

पैरा

25.10

संदर्भित किया गया है

(1999) 7 एस. सी. सी. 314

संदर्भित किया गया है

पैरा

25.10

[1973] 2 एससीआर 502

संदर्भित किया गया है

पैरा

25.10

[1977] 2 एससीआर 790

संदर्भित किया गया है

पैरा

25.10

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 3607

3610 2008 से।

अपीलीय के 07.05.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

विद्युत न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने अपील सं. 179 , 188 2005 का, 2006 का 16 और 27।

के साथ सिविल अपील सं। 4104-4107 2008 से।

संजय सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संजीव के. कपूर, सुश्री दिव्या सी., सारंश

शॉ, सुश्री मंदाकिनी घोष, सुश्री नेहा डबराल, प्रणव सूद, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, शिबाशीष मिश्रा, सुश्री दिव्या, सुश्री स्वप्ना शेषाद्री, आनंद के. गणेशन, प्रमोद दयाल, निकुंज दयाल, सुश्री कृति सोनी, राकेश कुमार, राज कुमार मेहता, सुश्री रश्मि सिंह, पुखरंबम रमेश कुमार, दामोदर सोलंकी, करुण शर्मा, डब्ल्यू. इमानुएल एम., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नागरत्ना, जे.

1. ये सिविल अपीलें बिजली की धारा 125 के तहत दायर की गई हैं।

अधिनियम, 2003 विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में 'अपीलीय न्यायाधिकरण') द्वारा पारित सामान्य विवादित निर्णय दिनांक 07.05.2008 से उत्पन्न होता है। उक्त निर्णय द्वारा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 1 दिनांकित 29.11.2005 के आदेश को रद्द कर दिया है और 2008 के सी. ए. Nos.3607-3610 में अपीलार्थी को दिया गया वितरण लाइसेंस। इसलिए, ये अपीलें।

2. चूंकि कानून और तथ्यों के प्रश्न जो दोनों में उत्पन्न होते हैं

उपरोक्त शीर्षक सिविल अपील समान हैं, इन अपीलों का निपटान इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

रीः सिविल अपील सं। 3607-3610 2008 काः
3. अपीलार्थी-जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जे. एस. पी. एल., संक्षेप में)

इस दीवानी अपील में रायगढ़, [2022] 7 एस. सी. आर. में एक स्पंज लोहा/इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई।

4. उत्तरदाता संख्या 1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में 'आयोग') है, उत्तरदाता संख्या 2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (संक्षेप में 'सी. एस. ई. बी.') है जो बाद में 'छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी' बन गया और उत्तरदाता संख्या 3 छत्तीसगढ़ है। विद्युत मंडल अभियान संघ (सी. वी. एम. ए. एस., संक्षेप में)।

5. नवनिर्मित राज्य छत्तीसगढ़ ने 2001-2006 के लिए अपनी औद्योगिक नीति तैयार की, जिसने औद्योगिक उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित किया। निजी-सार्वजनिक भागीदारी में संपदाओं के साथ-साथ कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना।

6. 500 में औद्योगिक संपदा स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव

रायगढ़ में मौजूदा भूमि से सटे एकड़ भूमि, जे. एस. पी. एल. द्वारा दिनांकित 28.12.2001 पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। भूमि में गाँव शामिल होने थे।

कोसमपाली, धनगर, बरमूडा या घरघोड़ा तहसील के किसी स्थल पर जिसमें तराई मल और जबलपुर गाँव शामिल हैं। जे. एस. पी. एल. ने छत्तीसगढ़ सरकार के खनिज संसाधन, वाणिज्य और उद्योग विभाग को रायगढ़ में इस तरह की औद्योगिक संपदा स्थापित करने की अनुमति मांगने के लिए एक पत्र लिखा है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को दिखाने वाला एक नक्शा पत्र के साथ संलग्न किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने आई. डी. 1 दिनांकित पत्र के माध्यम से जे. एस. पी. एल. को सूचित किया कि ऊर्जा विभाग जे. एस. पी. एल. द्वारा स्थापित की जा रही निजी औद्योगिक संपदा में बिजली की बिक्री और विभिन्न इकाइयों को पारेषण लाइनें बिछाने की अनुमति देने के लिए कार्रवाई कर रहा है और जे. एस. पी. एल. से अनुरोध किया कि वह बिजली की बिक्री के लिए और पारेषण लाइनें बिछाने के लिए तैयारी करे। उक्त उद्देश्य के लिए सहमति पत्र ("एमओयू", संक्षेप में) का मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। नई औद्योगिक नीति दिनांक 01.11.2001 के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जानी थीं।

7. जे. एस. पी. एल. ने 16.07.2002 पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से प्रस्तावित औद्योगिक संपदा में इकाइयों को बिजली की आपूर्ति की अनुमति देने के लिए उचित निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। द.

प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों को बिजली की आपूर्ति के संबंध में कार्रवाई/कदम। 04.09.2002 पर उपरोक्त पत्र के अनुपालन में, जे. एस. पी. एल. ने भारतीय संविधान की धारा 28 के तहत अनुमति देने का अनुरोध करते हुए एक पत्र को संबोधित किया। विद्युत अधिनियम, 1910 (संक्षेप में 1910 अधिनियम) औद्योगिक राज्य में प्रस्तावित इकाइयों को अपने कैप्टिव बिजली संयंत्र से और एम/एस के लिए बिजली की बिक्री के लिए।

जिंदल स्टीलेंड पावर लिमिटेड। वी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

प्रस्तावित औद्योगिक संपदा में औद्योगिक इकाइयों को बिजली की आपूर्ति के लिए पारेषण और वितरण लाइनें/प्रणाली स्थापित करने की अनुमति देना। जे. एस. पी. एल. ने आगे कहा कि वे सी. एस. ई. बी. से पारेषण और वितरण लाइनें स्थापित करने के लिए विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 (* 1948 अधिनियम, संक्षेप में) के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे। 8. छत्तीसगढ़ सरकार और जे. एस. पी. एल. की ओर से कार्य कर रहे छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (संक्षेप में 'सी. एस. आई. डी. सी.') के बीच औद्योगिक विकास निगम की स्थापना के लिए आई. डी. 1 पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

संपत्ति। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायगढ़ जिले के चार गाँवों यानी पुंजीपथरा, तुमडीह, जोरापल्ली और धनगढ़ में प्रस्तावित निजी औद्योगिक संपदा में स्थापित की जा रही नई औद्योगिक इकाइयों को जे. एस. पी. एल. द्वारा अपने कैप्टिव बिजली संयंत्र से बिजली की आपूर्ति की अनुमति दी और कुछ नियम और शर्तें निर्धारित कीं। सी. एस. ई. बी.

31.05.2003 जे. एस. पी. एल. के कैप्टिव पावर प्लांट से 220 के. वी. का दोहन करके छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में औद्योगिक एस्टेट में संभावित इकाइयों को बिजली की आपूर्ति के लिए 220 के. वी. की पारेषण और वितरण लाइनें बिछाने की अनुमति दी गई।

9. आई. डी. 1 पर, जे. एस. पी. एल. ने 1910 के अधिनियम की धारा 28 के तहत मंजूरी के लिए एक औपचारिक आवेदन किया जिसमें उसने प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए परियोजना का विवरण प्रदान किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 28.02.2004 पर दो आदेश पारित किए। विद्युत अधिनियम, 2003 (संक्षेप में '2003 अधिनियम') की धारा 68 (1) और 68 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने पहले आदेश के माध्यम से, राज्य सरकार ने इसके निर्माण की अनुमति दी।

सी. एस. ई. बी. द्वारा कुछ नियमों और शर्तों पर अनुशंसित संचरण और वितरण लाइनें। अपने दूसरे आदेश में, जे. एस. पी. एल. द्वारा अपने बिजली संयंत्र से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में निजी औद्योगिक संपदा में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों को सीधी बिजली आपूर्ति के संबंध में राज्य सरकार की ना-आपत्ति के संबंध में, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राय व्यक्त की कि जब से राज्य में 2003 का अधिनियम लागू था और 1910 का अधिनियम निरस्त हो गया था, तब से बाद के अधिनियम के तहत कोई अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

10. जे. एस. पी. एल. ने उन औद्योगिक इकाइयों को बिजली की आपूर्ति शुरू की जो पहले से ही 01.03.2004 से प्रभावी थीं।

11. इसके बाद, 15.09.2004 पर, जे. एस. पी. एल. ने अनुदान के लिए एक आवेदन दायर किया

2003 के अधिनियम की धारा 14 के तहत आयोग के समक्ष वितरण लाइसेंस। इसे आयोग द्वारा 15.09.2004 पर निर्धारित प्रारूप में दाखिल करने के लिए वापस कर दिया गया था। जे. एस. पी. एल. ने [2022] 7 एस. सी. आर. के अनुसार सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ फॉर्म 1-ए में आयोग को लाइसेंस के लिए आवेदन किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक का विनियम 3 (1)

5 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ आयोग (लाइसेंस विनियम), 2004 (संक्षेप में 'राज्य लाइसेंस विनियम')। उक्त आवेदन में, जे. एस. पी. एल. ने कहा कि जिस क्षेत्र में आपूर्ति की जानी थी, वह रायगढ़ जिले की गरघोड़ा तहसील के पुंजीपथरा और तुमडीह गाँवों में निजी क्षेत्र में जिंदल औद्योगिक उद्यान था, जिसका क्षेत्रफल 750 एकड़ है और इसमें सत्तर इकाइयाँ होंगी। उक्त आवेदन दाखिल करने के बाद, समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किए गए और 2003 के अधिनियम की धारा 15 के तहत आपत्तियां आमंत्रित की गईं। तीन आपत्तियाँ प्राप्त हुईं, एक-एक प्रतिवादी Nos.2 और 3 से और तीसरी आपत्ति श्री आर. के. अग्रवाल से थी। श्री आर. के. अग्रवाल की आपत्ति थी

बाद में आयोग ने 27.08.2005 को किसी भी अधिकार क्षेत्र से वंचित होने पर खारिज कर दिया।

12. विभिन्न पत्राचार और दलीलों का आदान-प्रदान किया गया

जे. एस. पी. एल., सी. एस. ई. बी., सी. वी. एम. ए. एस. और आयोग के बीच और उसके बाद आयोग ने कुल पांच मुद्दे तैयार किए और अपने आदेश दिनांक 29.09.2005 के अनुसार, 2003 अधिनियम की धारा 14 के तहत वितरण लाइसेंस देने का निर्णय लिया। आयोग के प्रासंगिक निष्कर्षों को निम्नानुसार संकलित किया जा सकता हैः

धारा 10 (2), 42 (2), 2 (47) और 12 का सामंजस्यपूर्ण अध्ययन।

आई.

2003 के अधिनियम से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक उत्पादन कंपनी 2003 के अधिनियम की धारा 10 (2) के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता को केवल खुली पहुंच के प्रावधानों के अधीन बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। अधिनियम की योजना, विशेष रूप से भाग

IV (अनुज्ञप्ति), ऐसा है कि यह एक को अधिकृत नहीं कर सकता है

राज्य सरकार की विशिष्ट अनुमति के तहत स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की एक महत्वपूर्ण संख्या के लिए। 1910 के अधिनियम की धारा 28 बिल्कुल स्पष्ट है कि

ii.

जनता के लिए बिजली राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी को अनिवार्य करती है। कि, तर्क का कोई विस्तार नहीं,

क्या राज्य सरकार के दिनांकित 29.01.2003 के पत्र को राज्य सरकार की मंजूरी माना जा सकता है। इसलिए, उक्त पत्र जे. एस. पी. एल. को इसके तहत कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

बिजली की आपूर्ति के लिए 1910 के अधिनियम की धारा 28।

एल स्टीलैंड पावर लिमिटेड। वी. छत्तीसगढ़ राज्य नगर नियामक आयोग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

28.02.2004 दिनांकित अनापत्ति पत्र भी आवेदक को ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। यदि उक्त पत्र में कोई अधिकार दिया गया है, तो लाइसेंस के लिए आवेदन में से कोई भी नहीं होगा। मौजूदा अधिकार का दावा या दावा किया जाना चाहिए था। जे. एस. पी. एल. के आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा, उक्त तिथि का दूसरा पत्र, जिसमें राज्य सरकार की कोई आपत्ति नहीं है, कहा नहीं जा सकता है -

राज्य सरकार से। इसलिए उस तारीख तक जे. एस. पी. एल. द्वारा बिजली का वितरण बिना किसी कानूनी प्रावधान के किया गया था। प्राधिकरण।

जिस क्षेत्र के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया था, उस पहलू पर यह देखा गया कि वर्तमान मामले को वितरण लाइसेंस नियमों के नियम 3 और पैरा 5.4 के अपवाद के रूप में माना जाना चाहिए। 7 राष्ट्रीय विद्युत नीति के बाद से यहां औद्योगिक संपदा की स्थापना के लिए प्रभावी कदम और राज्य सरकार के साथ इस आशय की समझ कि जे. एस. पी. एल. अपने कैप्टिव बिजली संयंत्र से बिजली प्रदान करेगी, राष्ट्रीय विद्युत निगम से बहुत पहले ही ले ली गई थी।

30.05.2003 पर जितनी जल्दी हो सके नेटवर्क। जे. एस. पी. एल. ने राज्य सरकार के साथ समझ के आधार पर बिजली के वितरण सहित औद्योगिक संपदा परियोजना को पूरी तरह से आगे बढ़ाया था। एक करोड़ रुपये का बड़ा निवेश। 17.79 करोड़ों का निर्माण हुआ और चौबीस उद्योग थे, जिनमें से अधिकांश बिजली से चलने वाले थे। यदि वितरण लाइसेंस से इनकार कर दिया जाता है, तो उन्हें अपने उद्योगों को बंद करना होगा। इसके अलावा, उपभोक्ता सी. एस. ई. बी. से वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बिजली खरीदने के लिए मजबूर होंगे।

इसलिए, [2022] 7 एस.

सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

इस मामले में वितरण लाइसेंस का अनुदान प्रतिस्पर्धा के हित में और उन उपभोक्ताओं के हित में हो सकता है जो पहले ही जे. एस. पी. एल. के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध कर चुके हैं।

इसके अलावा, मामले की समग्र स्थिति को देखते हुए, सुविधा का संतुलन जे. एस. पी. एल. को वितरण लाइसेंस देने में निहित होगा और इसके लिए पर्याप्त औचित्य था। इसके अलावा, सी. एस. ई. बी. यह स्पष्ट नहीं कर सका कि वह एक सीमित क्षेत्र में वितरण लाइसेंस के विरोध में क्यों था, जबकि सी. एस. ई. बी. खुद लोगों को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं था।

उनके मौजूदा औद्योगिक उपभोक्ता। ऐसे वितरण के अनुदान के लिए जे. एस. पी. एल. की पात्रता के संबंध में

यह देखा गया कि जे. एस. पी. एल. ने वितरण में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता, साख योग्यता और आचार संहिता की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है।

जे. एस. पी. एल. के उपभोक्ता पर क्रॉस-सब्सिडी शुल्क लगाने के संबंध में आयोग ने कहा कि इस तरह के शुल्क में कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह खुली पहुंच का मामला नहीं है। 2003 के अधिनियम की योजना ऐसी है कि

लाइसेंसधारी क्रॉस-सब्सिडी अधिभार की वसूली नहीं कर सकता है

एक अन्य वितरण लाइसेंसधारी और जे. एस. पी. एल. ने उस क्षेत्र में अपने सभी उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने का बीड़ा उठाया था जिसके लिए

लाइसेंस देने का प्रस्ताव था।

अंत में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जे. एस. पी. एल. पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। 2003 के अधिनियम की धारा 12 के उल्लंघन के लिए एक लाख, जो बिजली की आपूर्ति के लिए लाइसेंस प्राप्त करने को अनिवार्य करता है और उसी के उल्लंघन के लिए दंडनीय था।

2003 के अधिनियम की धारा 142।

विनियमों के तहत ऐसे लाइसेंसों के लिए सामान्य और विशेष लागू करने योग्य शर्तों के अलावा निम्नलिखित शर्तें लगाई गई थीं।

वितरण लाइसेंस अनुदान आयोगः

यह लाइसेंस रायगढ़ जिले की घरघोड़ा तहसील के दो गाँवों, तुमडीह और पुंजीपथरा के क्षेत्र के लिए होगा। हालांकि, जिंदल औद्योगिक उद्यान में औद्योगिक उपभोक्ताओं की संख्या 70 तक सीमित होगी और उनकी कुल मांग जिंदल स्टीलेंड पावर लिमिटेड होगी।

बिजली के लिए 299 मेगावाट की वृद्धि नहीं, जैसा कि सहमति के साथ

राज्य सरकार।

((ख)

आवेदक आवश्यक वितरण लाइनें बिछाएगा और लगाएगा।

किसी भी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति के लिए दोनों गांवों में अपने स्वयं के खर्च पर उप-स्टेशन जो इसके लिए आवेदन कर सकता है और रुपये से अधिक की दर से बिजली की आपूर्ति कर सकता है। 2.5 प्रति इकाई या उस श्रेणी के उपभोक्ता के लिए बोर्ड की आपूर्ति दर पर, जो कम है। इसमें घरेलू, कृषि,

औद्योगिक और अन्य उपभोक्ता। अनुज्ञप्तिधारी और बोर्ड के बीच चयन करने का विकल्प होगा - उपभोक्ता।

(iii)

एक के लिए लागू अन्य सभी सामान्य और विशेष शर्तें

लाइसेंस विनियमों के प्रावधानों के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी।

14. उत्तरदाता Nos.2 और 3 ने 07.10.2005 पर आपत्तियाँ दायर कीं

आयोग के समक्ष दिनांकित 29.09.2005। इसके बाद, प्रत्यर्थीदायर की गई अपील No.179/2005 और प्रतिवादी संख्या 3 ने दायर की अपील No.188 /

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष। अपीलार्थी ने यहाँ चुनौती दी

रुपये के जुर्माने की सजा। अल No.27/2006 में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक लाख।

15. संबंधित पक्षों को सुनने पर आयोग ने अपने

आर दिनांक 29.11.2005, जे. एस. पी. एल. को निम्नलिखित शर्तों पर लाइसेंस प्रदान किया गया

इकाइयाँः

" (i) वितरण लाइसेंस एक अवधि के लिए वैध होगा -

अधिनियम की धारा 15 (8) के प्रावधान के अनुसार, जारी होने की तारीख से पच्चीस साल, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया गया हो। अनुज्ञप्ति का क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र होगा -

((ख)

राज्य के रायगढ़ जिले की घरघोड़ा तहसील के तुमडीह और पुंजीपथरा गाँव, जिनमें उपरोक्त जिंदल औद्योगिक उद्यान भी शामिल है, जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है।

इसके साथ।

(iii)

वितरण लाइसेंसधारी सभी संबंधित नियमों का पालन करेगा।

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान, राष्ट्रीय

विद्युत नीति, अर्थात नियम 1956 और विद्युत नियम 2005,

समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(iv) अनुज्ञप्तिधारी अध्याय III में दी गई अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों और समय-समय पर संशोधित सी. एस. ई. आर. सी. (अनुज्ञप्ति) विनियम 2005 के अध्याय V में दी गई वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर लागू अन्य शर्तों का पालन करेगा।

वह आयोग द्वारा जारी या जारी किए जाने वाले सभी विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का भी पालन करेगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

लाइसेंसधारी सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा -

(v)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005।

(vi) लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति के लिए दोनों गांवों में अपनी लागत पर आवश्यक वितरण लाइनें लगाएगा और उप-स्टेशन लगाएगा जो इसके लिए आवेदन कर सकता है और रुपये से अधिक की अस्थायी दर पर बिजली की आपूर्ति करेगा। 2.5

जब तक आयोग द्वारा आपूर्ति के लिए शुल्क निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक उस श्रेणी के उपभोक्ता के लिए प्रति इकाई या बोर्ड की आपूर्ति दर, जो भी कम हो, पर। इसमें घरेलू शामिल होंगे,

कृषि, औद्योगिक और अन्य उपभोक्ता।

(vii) जिंदल औद्योगिक पार्क (जे. आई. पी.) के क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं के पास लाइसेंसधारी और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड के बीच चयन करने का विकल्प होगा।

(सी. एस. ई. बी.) या इसकी उत्तराधिकारी इकाई/संस्थाएं।

(viii) जे. आई. पी. के निर्दिष्ट क्षेत्र में औद्योगिक उपभोक्ताओं से लिया जा रहा मौजूदा शुल्क लाइसेंसधारी द्वारा तब तक लिया जाता रहेगा जब तक कि शुल्क द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।

आयोग।

(ix)

आपूर्ति के क्षेत्र में शुल्क के निर्धारण के लिए,

वितरण अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित आवश्यक आवेदन दाखिल करेगा -

अधिनियम की धारा 64 और सी. एस. ई. आर. सी. की धारा 10 (शुल्क और आवेदन करने के तरीके के निर्धारण के लिए लाइसेंसधारी या उत्पादक कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण) विनियम, 2004 आयोग के समक्ष 31 मार्च 2006 को या उससे पहले और उसके बाद के प्रावधानों के संदर्भ में

वही नियम।

लाइसेंसधारी सुरक्षा नियमों और सुरक्षा का पालन करेगा।

(x)

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी मानक। भारत और अन्य सरकार एजेंसी/विभाग।

एम/एस। जिंदल स्टीलेंड पावर लिमिटेड। वी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

(xi) अनुज्ञप्तिधारी आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना इस अनुज्ञप्ति या उसके हिस्से को बिक्री, पट्टा विनिमय या अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित या निर्दिष्ट नहीं करेगा।

(xii) लाइसेंसधारी छह महीने की अवधि के भीतर, यानी 29.05.2006 से पहले, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार तुमडीह और पुंजीपथरा गाँवों का विद्युतीकरण करेगा। यह पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक दीपक भी उपलब्ध कराएगा।

संबंधित के अनुरोध पर इन दोनों गाँवों में संख्या

ग्राम पंचायत और उसी को बनाए रखें।

(xiii) इस लाइसेंस की व्याख्या और इसके नियमों और शर्तों से संबंधित सभी मुद्दे आयोग द्वारा निर्धारण का विषय होंगे और ऐसे मुद्दों पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो केवल अपील के अधिकार के अधीन होगा।

(xiii) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, यदि आयोग जनहित में उचित समझता है, तो आयोग द्वारा किसी भी समय लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है।

16. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने इससे पहले अपील No.16/2006 दायर की

आयोग द्वारा पारित दिनांक 29.11.2005 के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने दिनांकित 11.05.2006 आदेश के माध्यम से आयोग द्वारा पारित दिनांकित 29.11.2005 वितरण लाइसेंस देने के आदेश को बरकरार रखा। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 11.05.2006 के आदेश से व्यथित, प्रतिवादी Nos.2 और 3 ने इस न्यायालय के समक्ष दीवानी अपील संख्या 3 दायर की। 3996 2006 का और 2006 का 4268। जे एस पी एल भी इस न्यायालय के समक्ष 2006 की सिविल अपील No.4529 के रूप में एक अपील को प्राथमिकता दी गई। इस न्यायालय ने अपने दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से, उपरोक्त अपीलों को अनुमति दी, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को दरकिनार कर दिया और मामले को नए सिरे से निर्धारण के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण को भेज दिया।

17. रिमांड पर, अपीलीय न्यायाधिकरण ने मामले पर पुनर्विचार किया और सभी उपरोक्त अपीलों (अपील संख्या 179/2005, अपील No.188/2005, अपील No.27/2006 और अपील No.16/2006) को दिनांक 07.05.2008 के सामान्य विवादित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई, जिसे वर्तमान अपीलों के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। प्रासंगिक अवलोकन और निर्णय अपीलीय न्यायाधिकरण को निम्नानुसार समाहित किया गया हैः

आई.

जे. एस. पी. एल. के इस तर्क के संबंध में कि समझौता ज्ञापन में एक विशिष्ट बात थी

खंड जिसने जे. एस. पी. एल. को सीधे [2022] 7 एस. सी. आर. को बिजली बेचने की अनुमति दी।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

प्रस्तावित औद्योगिक संपदा में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को यह माना गया कि समझौता ज्ञापन को पढ़ने का यह सही तरीका नहीं था। समझौता ज्ञापन तब किया गया था जब संपत्ति अस्तित्व में भी नहीं आई थी और उसकी शर्तों में केवल यह कल्पना की गई थी कि भविष्य में क्या होगा। इसलिए बिजली की आपूर्ति या वितरण के लिए लाइसेंस देना जल्दबाजी होगी।

कि 29.01.2003 दिनांकित पत्र जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 'नहीं-आपत्ति' है, में एक स्पष्ट शर्त थी कि जे. एस. पी. एल. को धारा के तहत अनुमति लेनी थी

28 अपने कैप्टिव बिजली संयंत्र से औद्योगिक संपदा को सीधी बिजली आपूर्ति के लिए 1910 के अधिनियम और उक्त पत्र को लाइसेंस देने के सरकार के वादे के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

28.02.2004 दिनांकित दो पत्रों की जांच करने पर, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा यह पाया गया कि पहला आदेश दिया गया था

2003 के अधिनियम की धारा 68 (1) और (3) के तहत बिजली, पारेषण और वितरण लाइनों के निर्माण की अनुमति और अनुमोदन के लिए अनुरोध से संबंधित दूसरा आदेश

1910 के अधिनियम की धारा 28 के तहत। दूसरे आदेश में यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया था कि जे. एस. पी. एल. को धारा 28 के बाद से आयोग से अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

1910 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और इसकी कोई अनुमति नहीं दी जा सकी।

कि कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है। उस समय संबंधित प्राधिकरण आयोग था और आवश्यक नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद आयोग से 2003 के अधिनियम की धारा 14 के तहत लाइसेंस प्राप्त किया जाना था। जे. एस. पी. एल. प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत का लाभ नहीं उठा सकता था क्योंकि, भले ही उपरोक्त पत्रों को एक वादा माना जाता था, वही

यह केवल एल स्टीलैंड पावर लिमिटेड की राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होगा।

वी. छत्तीसगढ़ राज्य नगर नियामक आयोग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

छत्तीसगढ़ और आयोग नहीं जो नहीं है सरकार या उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिता के अधीनस्थ।

अपीलीय प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या जे. एस. पी. एल. 2003 के अधिनियम की धारा 14 के तहत लाइसेंस/आपूर्ति के न्यूनतम क्षेत्र का हकदार था, कहा कि उस तारीख को जब जे. एस. पी. एल. द्वारा 2003 के अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन विचाराधीन था, आयोग को उस समय लागू विनियमन को लागू करने की आवश्यकता थी जिसमें आपूर्ति के न्यूनतम क्षेत्र का नियम शामिल था। यह देखा गया कि आयोग ने उक्त नियम की अनदेखी करके और उसका उल्लंघन करते हुए लाइसेंस देने में गलती की। आयोग द्वारा उपरोक्त नियम का कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता था। 2003 के अधिनियम की धारा 10 (2) की व्याख्या करते हुए, जिसमें एक उत्पादन कंपनी को किसी भी लाइसेंसधारी या किसी भी उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति करने की अनुमति दी गई थी, यह माना गया था कि जे. एस. पी. एल. एक कैप्टिव बिजली संयंत्र है और 2003 के अधिनियम की धारा 9 द्वारा शासित है।

जे. एस. पी. एल. ने वितरण लाइसेंस के लिए आवेदन किया था क्योंकि उसका इरादा किसी अन्य उत्पादक से बिजली खरीदने का था। कंपनी का नाम जिंदल पावर था। जे. एस. पी. एल., एक कैप्टिव बिजली संयंत्र होने के नाते और प्रासंगिक समय पर एक उत्पादन कंपनी नहीं होने के कारण बिना लाइसेंस के किसी तीसरे व्यक्ति को कोई आपूर्ति नहीं कर सकती थी।

सी. एस. ई. बी. के इस तर्क पर विचार करने पर कि एक कैप्टिव बिजली संयंत्र से या यहां तक कि धारा 10 (2) के तहत आपूर्ति

जब तक खुली पहुंच का लाभ नहीं उठाया जाता है, तब तक आपूर्ति नहीं की जा सकती है, यह माना गया था कि खुली पहुंच एक सक्षम प्रावधान है जो बिजली क्षेत्र के विस्तार में मदद करता है और इसकी क्षमता को सीमित नहीं करता है। विकास। यदि यह 2003 के अधिनियम का इरादा था कि नहीं

बिक्री संभव थी सिवाय खुली पहुंच का लाभ उठाने के, उसने ऐसा कहा होगा। यह भी देखा गया कि 2003 के अधिनियम की धारा 10 (2) में निर्धारित किया गया है कि उपभोक्ता को आपूर्ति (2022) 7 एस. सी. आर. की उप-धारा (2) के तहत बनाए गए विनियमों के अधीन होगी।

2003 के अधिनियम की धारा 42। उपयोग की व्याख्या करते समय

'धारा 42 की उप-धारा (2) के तहत बनाए गए नियमों के अधीन' शब्दों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 2003 के अधिनियम की धारा 42 (2) के तहत प्रावधान केवल तभी आकर्षित होगा जब मौजूदा वितरण के माध्यम से पहुंच की मांग की गई थी; जब ऐसी पहुंच की मांग नहीं की गई थी, तो उपरोक्त प्रावधान

लागू नहीं होता है।

जुर्माना लगाने के आयोग के आदेश के संबंध में

ix.

से रु. जे. एस. पी. एल. पर एक लाख, वही अलग रखा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क को बिजली की आपूर्ति शुरू करने के समय जे. एस. पी. एल. के पास लाइसेंस नहीं था।
जुर्माना स्वतः आकर्षित नहीं हुआ था। धारा 142 के अनुसार

2003 के अधिनियम के अनुसार, दंडित किए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। मान लीजिए, उक्त अवसर जे. एस. पी. एल. को नहीं दिया गया था। यह पाया गया कि आयोग केवल वितरण लाइसेंस देने के आवेदन पर सुनवाई कर रहा था। यह मुद्दा कि क्या जे. एस. पी. एल. ने खुद को सजा के लिए उत्तरदायी बनाया था, कभी भी एक मुद्दा नहीं था। आयोग के समक्ष।

रीः सिविल अपील सं। 4104-4107 2008 काः

18. इन दोनों अपीलों में तथ्य और परिस्थितियाँ समान हैं और इसलिए पुनरावृत्ति से बचने के लिए पुनः प्रस्तुत नहीं किए गए हैं सिवाय इसके कि

जिस हद तक ऐसा करना आवश्यक है।

19. इन दीवानी अपीलों में अपीलार्थी उपभोक्ता है -

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जिंदल औद्योगिक पार्क में बिजली

जे. एस. पी. एल. के पक्ष में दिए गए वितरण लाइसेंस को रद्द करने और वैकल्पिक वितरण लाइसेंसधारी की अनुपलब्धता के कारण व्यथित। इसमें अपीलार्थी की शिकायत है कि वह अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं था।

20. जे. एस. पी. एल. ने 08.05.2008 पर अपने नोटिस के माध्यम से सूचित किया कि

इस अपील में अपीलार्थी ने कहा कि चूंकि इसका वितरण लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, इसलिए उसे जिंदल औद्योगिक उद्यान में सभी उद्योगों को बिजली की आपूर्ति बंद करनी पड़ी, जिसके बाद 09.05.2008 पर

1: 00 अपराह्न, अपीलार्थी की सभी इकाइयों की बिजली आपूर्ति काट दी गई थी। अपीलार्थी का तर्क है कि सभी इकाइयों को बंद कर दिया गया था और अपीलार्थी को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। अपीलार्थी का कहना है कि वह जे. एस. पी. एल. का तीसरा पक्ष और अंतिम उपभोक्ता है जो एम/एस. से वंचित है।

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। वी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

किसी वैकल्पिक वितरक के अभाव में बिजली का वितरण। इसलिए ये अपीलें की जाती हैं।

21. हमने श्री संजय सेन को सुना है, जो वरिष्ठ वकील हैं।

सी. ए. सं. में अपीलार्थी। 3607-3610 श्री सी. एस. वैद्यनाथन ने सी. ए. सं. 2008 में अपीलार्थी के लिए वरिष्ठ वकील के रूप में कार्य किया। 4104-4107 2008 के उनके निर्देश देने वाले वकील द्वारा विधिवत सहायता की गई; सुश्री स्वप्ना शेषाद्री, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए विद्वान वकील, श्री राज कुमार मेहता, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए विद्वान वकील और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया।

22. के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुतियाँ

अपीलार्थी-2008 की सिविल अपील Nos.3607-3610 में जे. एस. पी. एल. को निम्नानुसार दर्शाया गया है:

22.1

कि आयोग ने बिजली के वितरण (पूंजी की अतिरिक्त आवश्यकता और पर्याप्त ऋण योग्यता) पर ध्यान देने के बाद अपने दिनांक 29.11.2005 के आदेश में और आचार संहिता) नियम, 2005 (2005 नियम, संक्षेप में) को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस देने के लिए आगे बढ़े थे

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, द्वारा किया गया निवेश

अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. और वे लाभ जो औद्योगिक उपभोक्ताओं के पक्ष में अर्जित हुए जिन्होंने अपने औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए थे और जिनके पास संबंधित समय पर बिजली आपूर्ति का कोई अन्य स्रोत नहीं था। अपने दिनांक 29.09.2005 के आदेश द्वारा आयोग ने विशेष रूप से भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बिजली प्रदान करने में सी. एस. ई. बी. की अक्षमता को देखा था। और अधिशेष बिजली की अनुपलब्धता। वास्तव में, छत्तीसगढ़ राज्य बिजली की कमी से पीड़ित था और इस अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. के कैप्टिव बिजली संयंत्र से बिजली खरीद रहा था। राज्य सरकार/सी. एस. ई. बी. द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर, दिनांक 23.10.2002 के समझौता ज्ञापन के संदर्भ में, पारेषण का निर्माण और

वितरण नेटवर्क शुरू किया गया और पूरा किया गया और

दीर्घकालिक समझौते के आधार पर बिजली की आपूर्ति आयोग और 2005 के नियमों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले या उसके आसपास शुरू हो गई थी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सी. एस. ई. बी. की सहमति से निरस्त कानून यानी सी. एस. ई. बी. की धारा 28 के तहत निहित शक्तियों के संदर्भ में काफी काम किया था।

1910 का अधिनियम और राज्य की औद्योगिक और ऊर्जा नीतियाँ। लाइसेंस देने के लिए मूल आवेदन [2022] 7 एस. सी. आर. पर दायर किया गया।

15.09.2004 और 25.01.2005 पर दायर लाइसेंस के अनुदान के लिए संशोधित आवेदन दोनों अधिसूचना से पहले थे 2005 नियम। हालाँकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने 2005 के नियमों के नियम 3 के स्पष्टीकरण के आधार पर एक संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है।

यह तर्क दिया गया था कि एक प्रावधान के लिए एक स्पष्टीकरण है

केवल कुछ अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने के लिए

और इसे एक मूल प्रावधान के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में, अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने एस. सुंदरम पर भरोसा जताया है। पिल्लई बनाम। वी. आर. पट्टाबिरमन (1985) 1 एस. सी. सी. 591 और ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड बनाम। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (2009) 15 एस. सी. सी. 570। उन्होंने आगे कहा कि नियम 3 का स्पष्टीकरण क़ानून के प्रावधानों या प्राथमिक विधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि संदर्भ में है।

अधीनस्थ विधान। 2003 के अधिनियम की धारा 2 (3), धारा 14 और उसके छठे परंतुक, धारा 86 और धारा 176 (2) (बी) के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के पास यह अधिकार नहीं है -

आपूर्ति के क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए अधिकार क्षेत्र। यह स्पष्ट है कि कानून में केंद्र सरकार से केवल तीन विषयों पर शर्तों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता थी, अर्थात् पूंजी पर्याप्तता।

ऋण योग्यता और आचार संहिता। अगर केंद्र सरकार ने वास्तव में परिभाषित करने की शक्ति सौंप दी थी

वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति के क्षेत्र में, उसने एक मूल नियम बनाया होगा और इसे स्पष्टीकरण के माध्यम से सम्मिलित नहीं किया होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, नियम 3 का स्पष्टीकरण, उच्चतम स्तर पर, नियामक कार्यों के निर्वहन के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य कर सकता है जो होना चाहिए -

आम तौर पर पालन किया जाता है।

यह स्थिति कि नियम 3 का स्पष्टीकरण एक दिशानिर्देश की प्रकृति में है, इस तथ्य से मजबूत होती है कि खंड 5.4। 7 राष्ट्रीय विद्युत नीति में आपूर्ति के न्यूनतम क्षेत्र से संबंधित एक समान प्रावधान है जो केवल वैधानिक कार्यों के निर्वहन में मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। 2003 के अधिनियम की धारा 61 (i) और 86 (4) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति दोनों एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेंगे।

स्टीलैंड पावर लिमिटेड। वी. छत्तीसगढ़ राज्य नियामक आयोग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील-जे. एस. पी. एल. ने दोहराया कि केंद्र सरकार की शक्ति

लाइसेंस के क्षेत्र को परिभाषित करने वाला एक ठोस नियम लागू करना क़ानून के तहत किसी भी प्रावधान से पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके विपरीत, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को 2003 के अधिनियम की धारा 2 (3), 14,15 और 86 (1) (डी) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी लाइसेंस में आपूर्ति का क्षेत्र निर्धारित किया जाना है। इसलिए, नियम 3 का स्पष्टीकरण बिना किसी स्पष्टीकरण के है।

कानून का अधिकार। इस ओर से, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भास्कर श्रची पर भरोसा रखा

मिश्र धातु लिमिटेड v. दामोदर घाटी निगम (2018) 8 एस. सी. सी. 281, केरल संस्थान चेथू थोझिलाली यूनियन बनाम। केरल राज्य और अन्य। (2006) 4 एस. सी. सी. 327 और भारतीदासन विश्वविद्यालय और अन्न। वी. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा और अन्य परिषद। (2001) 8 एससीसी 676।

यह आगे तर्क दिया गया कि तत्काल मामले में, वितरण लाइसेंस 29.09.2005 पर दिया गया था और इसकी पुष्टि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 2006 की अपील No.27 में दिनांकित 11.05.2006 आदेश द्वारा की गई थी। इसलिए, 2005 के नियमों के अधिकारों को चुनौती देने का कोई अवसर नहीं था। भले ही नियमों को विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई हो, लेकिन उल्लंघन पाए जाने पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है कोई भी प्रावधान।

यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि नियम 3 का स्पष्टीकरण वर्तमान मामले में एक मूल नियम के रूप में लागू किया जाता है, तो इसका परिणाम होगा -

अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. और जिंदल औद्योगिक पार्क के उपभोक्ताओं के निहित/अर्जित अधिकारों में हानि। 15.09.2004 पर औपचारिक आवेदन करने के समय, 2005 के नियम अस्तित्व में नहीं थे। अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. ने निरस्त 1910 के अधिनियम के तहत राज्य सरकार की सहमति/अनुमति के संदर्भ में और वर्तमान 2003 के अधिनियम के तहत भी ईमानदारी से काम किया था, अब लाइसेंस देने और 2005 के नियमों को लागू करने में देरी के कारण इसका नुकसान नहीं उठाया जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में ऐसा नहीं किया जा सकता है। पी. महेंद्रन बनाम कर्नाटक राज्य (1990) 1 एस. सी. सी. 411, ए. ए. कैल्टन बनाम। शिक्षा निदेशक (1983) 3 एससीसी [2022] 7 एस. सी. आर.

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

33 और गोपाल कृष्ण रथ बनाम। एल. आर. (1999) 1 एस. सी. सी. 544 द्वारा एम. ए. ए. बेग (मृत)। भारतीय खनिज उद्योग और अन्य संघों पर निर्भरता स्थापित करना। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. (2017) 16 एस. सी. सी. 186, विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि एक अधीनस्थ कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव के लिए नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि मूल क़ानून, स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा इसे करने के लिए अधिकृत नहीं करता है।

सो.

तर्क का अगला अंग यह था कि अपीलकर्ता-जे. एस. पी. एल. को इन अपीलों में बिजली की आपूर्ति के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने में राज्य सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग दिनांकित 23.10.2002 के समझौता ज्ञापन की शर्तों के साथ-साथ दिनांकित 29.01.2003 और 28.02.2004 पत्रों के रूप में प्रकट होता है। ये अनुमतियाँ एक से कम नहीं थीं।

1910 के अधिनियम की धारा 28 के तहत विचार की गई मंजूरी और इस प्रकार सामान्य की धारा 6 के संदर्भ में सहेजी गई

खंड अधिनियम, 1897 और 2003 अधिनियम की धारा 185। इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बनाम. मध्य प्रदेश राज्य (2020) 10 एस. सी. सी. 751 और गुजरात विद्युत बोर्ड बनाम। शांतिलाल आर. देसाई (1969)

1 एससीआर 580।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि 27.01.2004 पर लागू संशोधन के आधार पर, विधायिका ने 2003 के अधिनियम की धारा 14 के छठे परंतुक में 'सहित' शब्द को 'संबंधित' शब्द से बदल दिया। 'सम्मिलित' शब्द प्रावधान को विस्तृत बनाता है जैसा कि इसके द्वारा माना गया है। डी. ए. वी. कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी और अन्य के मामलों में न्यायालय। वी. लोक निदेशक

निर्देश और अन्य। 2019 (9) एससीसी 185 और सी. आई. टी. आंध्र प्रदेश बनाम। एम/एस। ताजमहल होटल, सिकंदराबाद 1971 (3) एस. सी. सी. 550। इसके अलावा, संसद ने केंद्र सरकार की शक्ति को कम कर दिया और एक संशोधन द्वारा 'सम्मिलित' शब्द को हटा दिया और इसके बजाय 'संबंधित' शब्द का उपयोग किया। किसी प्रावधान को 'संबंधित' मानने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि 'प्रावधान का प्रमुख उद्देश्य और विषय केवल एक ही है' जैसा कि माधव एल स्टीलैंड पावर लिमिटेड के मामले में देखा गया था।

वी. छत्तीसगढ़ राज्य नगर नियामक आयोग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

राव जीवाजी राव सिंधिया बनाम। भारत संघ (1971) 1 एससीसी

85. इसलिए, एक प्रतिबंधात्मक अर्थ दिया जाना चाहिए छठा परंतुक।

रमण दयराम शेट्टी पर निर्भरता रखना

वी.

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (1979) 3 एस. सी. सी.

489 , यह भी आग्रह किया गया कि अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. ने

तब से अपने उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति कर रहा है

01.03.2004 और नियामक/संविदात्मक/कानूनी कदम उठाए हैं

वितरण लाइसेंस को अस्वीकार करने का निर्णय है

अपीलार्थी के हित के लिए हानिकारक-जे. एस. पी. एल.

उपभोक्ता के रूप में।

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री की प्रस्तुतियाँ

2008 के सिविल अपील Nos.4104-4107 में अपीलार्थी के लिए

निम्नानुसार लिखा गया है:

इसमें अपीलकर्ता आपूर्ति की गई बिजली का उपभोक्ता है।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने जहां तक अनुदान को अलग रखा है आयोग द्वारा नियुक्ति के बिना वितरण लाइसेंस का

कोई भी वैकल्पिक वितरण लाइसेंस 2003 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

अपीलीय न्यायाधिकरण इस योजना की सराहना करने में विफल रहा 2003 का अधिनियम जो आयोग या आयोग को अनुमति नहीं देता है

न्यायाधिकरण सुनवाई के बिना वितरण लाइसेंस रद्द करेगा उपभोक्ता। 2003 के अधिनियम का पूरा उद्देश्य और उद्देश्य

उत्पादन, संचरण, वितरण को उदार बनाना था और एकाधिकार को रोकने के लिए बिजली की आपूर्ति

उपभोक्ताओं से भारी विद्युत शुल्क की मांग करना और

खुली पहुंच की अनुमति दी गई थी ताकि कोई भी व्यापारी या वितरक

अधिकार के रूप में, उद्योगों को बिजली वितरित और आपूर्ति कर सकते हैं

या उपभोक्ता जिन्होंने बिजली की मांग की

विशेष व्यापारी या वितरक। धारा का छठा परंतुक

14 2003 के अधिनियम की धारा उपरोक्त स्थिति को और भी स्पष्ट करती है।

एक से अधिक लाइसेंसधारी के लिए वितरण और

उसी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति।

आपूर्ति के क्षेत्र को धारा 2 (3) के तहत परिभाषित किया गया है 2003 अधिनियम और कहीं भी, अधिनियम ने क्षेत्र को परिभाषित किया है

पूरे जिले या पूरे [2022] 7 एस. सी. आर. तक सीमित आपूर्ति।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत नगरपालिका का क्षेत्र।

अपीलीय न्यायाधिकरण यह नोट करने में विफल रहा कि सी. एस. ई. बी. जिंदल औद्योगिक उद्यान में काम नहीं कर रहा था और इसलिए इस आधार पर वितरण लाइसेंस को रद्द करना गलत था। सी. एस. ई. बी. ने स्वयं बिजली की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई के दौरान जिंदल औद्योगिक उद्यान में।

इसके अलावा, नियम 3 के स्पष्टीकरण से यह संकेत नहीं मिलता है कि दूसरे लाइसेंसधारी के पास आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र होना चाहिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा समझाया गया। स्पष्टीकरण में दिखाई देने वाले 'एक ही क्षेत्र' शब्द में कहा गया है कि वह कौन सा क्षेत्र होना चाहिए जिसके लिए दोनों लाइसेंसधारियों को काम करने वाला कहा जा सकता है।

' उसी क्षेत्र में '। 2003 के अधिनियम या 2005 के नियमों और स्पष्टीकरण में एक ही क्षेत्र शब्द की व्याख्या नहीं की गई है, जिसका अर्थ है कि अतिव्यापी कम से कम एक नगरपालिका के भीतर शामिल क्षेत्र का होना चाहिए।

निगम या राजस्व जिला, आदि।

केंद्र सरकार ने 2003 के अधिनियम की धारा 14 के तहत नियम बनाने में 2005 के नियमों के नियम 3 (2) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा है, जिसके द्वारा उसने 2003 के अधिनियम की धारा 14 के छठे परंतुक के संदर्भ में एक ही क्षेत्र की अवधारणा को 'नगरपालिका परिषद या नगर निगम वाले क्षेत्र' तक सीमित कर दिया है, जैसा कि 2003 के अधिनियम के अनुच्छेद 243 क्यू में परिभाषित किया गया है।

भारत का संविधान या एक राजस्व जिला, जो आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र होगा। उक्त निर्माण पूरी तरह से असंगत है और उक्त 2003 अधिनियम की धारा 14 के छठे परंतुक के स्पष्ट प्रावधान का उल्लंघन करता है और 2003 अधिनियम की पूरी भावना, उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत है।

वितरण लाइसेंस का अनुदान एक प्रशासनिक है।

आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जैसा कि अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 1 के पूर्व निर्णय में उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया था। कि

2003 के अधिनियम के तहत, अपीलीय न्यायाधिकरण को न तो लाइसेंस देने का अधिकार है और न ही उसे रद्द करने का। 2003 के अधिनियम की धारा 19 के आधार पर, केवल आयोग को लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है, वह भी एल स्टीलेंड पावर लिमिटेड का पालन करने के बाद।

वी. छत्तीसगढ़ राज्य नगर नियामक आयोग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के साथ और अपीलीय न्यायाधिकरण को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा, द्वारा पारित एक कार्यकारी आदेश से कोई अपील नहीं हो सकती है

आयोग।

करोड़। 4000 से अधिक प्रत्यक्ष कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया जाता है। इसलिए, उक्त वितरण लाइसेंस को रद्द करना सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. एस. वैद्यनाथन उपस्थित हुए

सी. ए. सं. में अपीलार्थी के लिए। 4104-4107 2008 के अधिनियम में तर्क दिया गया कि उक्त अपीलकर्ता जे. एस. पी. एल. द्वारा आपूर्ति की जा रही बिजली के उपभोक्ताओं में से एक था और रद्द करने के कारण

अनुज्ञप्ति के संबंध में, अपीलार्थी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था और इसलिए अपीलीय न्यायाधिकरण के विवादित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है और प्रत्यर्थी संख्या 1 का आदेश प्रभाव दिया जा सकता है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियाँ

2008 के ई. ए. एल. Nos.3607-3610 का सारांश इस प्रकार हैः

2005 के नियमों के नियम 3 के स्पष्टीकरण में दिखाई देने वाले 'एक ही क्षेत्र के भीतर' शब्द को एक क्षेत्र के रूप में पढ़ा जाना चाहिए

राजस्व जिला या नगर परिषद, एक योग्यता मानदंड के रूप में न्यूनतम क्षेत्र के प्रावधान को नकार देगी। इस प्रकार, न्यूनतम क्षेत्र की अवधारणा स्वाभाविक रूप से इस व्याख्या के साथ असंगत या विरोधाभासी होगी कि क्षेत्र को नगर निगम या राजस्व जिले के क्षेत्र के बराबर नहीं होना चाहिए।

2003 के अधिनियम की धारा 43 के तहत एक वितरण लाइसेंसधारी का सार्वभौमिक आपूर्ति दायित्व है, अर्थात, उसके संचालन के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति करना।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

यह प्रस्तुत किया गया था कि पैरा 5.4। 7 राष्ट्रीय विद्युत नीति में भारत सरकार की मंशा स्पष्ट की गई है कि दूसरे/समानांतर वितरण लाइसेंस के अनुदान के लिए न्यूनतम क्षेत्र प्रदान किया जाए। एक नगर निगम/परिषद या एक राजस्व जिले को शामिल करते हुए न्यूनतम क्षेत्र के निर्धारण का उद्देश्य यह है कि

उक्त क्षेत्र के भीतर सभी श्रेणियों के उपभोक्ता। इस प्रकार, दूसरा वितरण लाइसेंसधारी भी ऐसे क्षेत्र के भीतर सभी उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा, न कि केवल उच्च भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को। इसलिए, उपभोक्ताओं को चेरी चुनने से बचना चाहिए और इसलिए

भारत सरकार ने एक न्यूनतम क्षेत्र निर्धारित करना उचित समझा जिसके लिए दूसरा वितरण लाइसेंस दिया जा सकता है।

इस प्रकार, दूसरे वितरण लाइसेंस के अनुदान के लिए नियम 3 के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र की शर्त को पूरा करने की आवश्यकता है। उक्त वितरण लाइसेंस न तो राजस्व जिले के अस्तित्व के साथ सह-अंत है और न ही वितरण लाइसेंस में संशोधन किया जाएगा, रद्द किया जाएगा या राजस्व जिलों के परिसीमन या समेकन से किसी भी तरह से प्रभावित होगा। राजस्व जिले आदि के समेकन के कारण क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन उस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा जिसके लिए वितरण लाइसेंस दिया गया है।

जो न्यूनतम आपूर्ति का क्षेत्र है।

कि राज्य द्वारा दिए गए लाइसेंस को रद्द करना

आयोग तत्काल मामले में उचित नहीं था क्योंकि राज्य आयोग ने पूरी तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करने के बाद और एक अपवाद बनाते हुए पहले ही निर्देश दिया है कि जे. एस. पी. एल. को दो गांवों में बिजली की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। अर्थात्, तुमडीह और पुंजीपथरा।

इसलिए यह तर्क दिया गया कि अपीलीय न्यायाधिकरण आयोग के आदेश को रद्द करने में सही नहीं था।

2008 के प्रत्यर्थी संख्या 2 पील Nos.3607-3610 के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियाँ निम्नानुसार समाहित हैं:

कि द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय विद्युत नीति

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, 2003 के अधिनियम की धारा 3 के तहत निर्धारित करता है कि वितरण लाइसेंस के तहत आपूर्ति का क्षेत्र अनिवार्य रूप से न्यूनतम क्षेत्र एल स्टीलेंड पावर लिमिटेड होना चाहिए।

वी. छत्तीसगढ़ राज्य नगर नियामक आयोग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

जिसमें एक राजस्व जिला, एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद या एक बड़े क्षेत्र के लिए एक नगर निगम शामिल है।

शहरी क्षेत्र। 2003 के अधिनियम की धारा 86 (4) के आधार पर, राज्य आयोग सांविधिक रूप से इसके द्वारा निर्देशित होने के लिए बाध्य है -

राष्ट्रीय विद्युत नीति ने कहा। एनर्जी वॉचडॉग बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य (2017) 14 एस. सी. सी. 80, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि शुल्क नीति के संदर्भ में, एक शुल्क नीति है।

कानून। इसी तरह, राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपरोक्त प्रावधान को 2005 के नियमों में वैधानिक रूप से शामिल किया गया था। इसके अलावा, विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति और 2005 नियमों के उपरोक्त प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन से जो कानूनी स्थिति सामने आती है, वह यह है कि वितरण लाइसेंस देने के लिए 'आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र' में नगर परिषद या नगर निगम या राजस्व जिले का पूरा क्षेत्र शामिल होना चाहिए। कोई वितरण नहीं

कम क्षेत्र के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है, भले ही ऐसा कम क्षेत्र नगर परिषद या नगर निगम या राजस्व जिले का हिस्सा हो।

व्याख्या कि यह 'कोई भी क्षेत्र' हो सकता है जो इसके अंतर्गत आता है

एक नगर परिषद या एक नगर निगम या एक राजस्व जिला 2005 के नियमों के स्पष्टीकरण 3 के साथ पठित आपूर्ति के अपने क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण लाइसेंस के सार्वभौमिक आपूर्ति दायित्व का प्रावधान करके विधायिका द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को विफल कर देगा। इस तरह

व्याख्या स्पष्टीकरण को निरर्थक और निरर्थक बना देगी और यह व्याख्या का एक स्थापित सिद्धांत है कि अतिरेक को विधायिका के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में रिलायंस को थम्पनूर रविव के मामले में फैसले पर रखा गया था। चारुपारा रवि (1999) 8 एससीसी

74 .

2003 के अधिनियम की धारा 14 के छठे परंतुक द्वारा 2005 के नियमों के नियम 3 (2) के स्पष्टीकरण के साथ पठित आपूर्ति के न्यूनतम क्षेत्र की शर्त 'निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा' और 'समान अवसर' का अभिन्न अंग है। सार्वभौमिक [2022] 7 एस. सी. आर. के वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए भी यही आवश्यक है।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

2003 के अधिनियम की धारा 43 के तहत निर्धारित आपूर्ति। इसके अलावा, 2003 के अधिनियम के तहत शुरू किए गए कई लाइसेंसों की व्यवस्था में, आपूर्ति के न्यूनतम क्षेत्र पर जोर देने से किसी भी प्रकार के उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं को केवल आपूर्ति के स्वयं-चयनित क्षेत्र में ही चेरी चुनने से रोका जा सकता है जैसा कि वर्तमान मामले में है।

पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए। भारतीय रिजर्व बैंक (1992) 2 एस. सी. सी. 343 और मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और अन्य। वी. निसार खान (2003) 4 एस. सी. सी. 595, यह आग्रह किया गया कि 2005 के नियमों के नियम 3 के स्पष्टीकरण को अधिनियमित किया जाए ताकि कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाया जा सके।

2003 के अधिनियम की धारा 14 के तहत लाइसेंस का हकदार नहीं है क्योंकि यह 'आपूर्ति के न्यूनतम क्षेत्र' की शर्त को पूरा नहीं करता है। आयोग, लाइसेंस देते समय, दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अच्छी तरह से जानता था कि अपीलकर्ता जे. एस. पी. एल. ने नियम 3 के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट 'आपूर्ति के न्यूनतम क्षेत्र' की आवश्यकता को पूरा नहीं किया और 2003 के अधिनियम की धारा 43 के तहत अपने वैधानिक कर्तव्य/सार्वभौमिक दायित्व को पूरा करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए आयोग ने जे. एस. पी. एल. को रायगढ़ जिले की तहसील घरघोड़ा के तुमडीह और पुंजीपथरा नामक दो गाँवों और इन दोनों गाँवों के शेष क्षेत्र के लिए वितरण लाइसेंस देकर अपीलार्थी पर एक विशेष शर्त लगा दी। यहां तक कि लगाई गई कथित विशेष शर्त भी नियम 3 (2) के स्पष्टीकरण में अनिवार्य दूसरे लाइसेंस के अनुदान के लिए आपूर्ति के न्यूनतम क्षेत्र के संबंध में शर्त का अनुपालन नहीं है।

अपीलार्थी उपरोक्त दो गाँवों के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए वितरण लाइसेंस देने के आदेश में विशेष शर्त से बाध्य था। हालांकि,

अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. एल. स्टीलेंड पावर लिमिटेड में केवल पच्चीस उद्योगों को बिजली की आपूर्ति करके भारी लाभ कमा रहा है।

वी. छत्तीसगढ़ राज्य नगर नियामक आयोग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

जिंदल औद्योगिक उद्यान और रायगढ़ जिले की तहसील घरघोड़ा के तुमडीह और पुंजीग्रह नामक दो गाँवों को बिजली की आपूर्ति करने के अपने दायित्व को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहा है।

अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. द्वारा आयोग द्वारा लगाई गई विशेष शर्त के इस घोर और स्पष्ट उल्लंघन के कारण, वितरण कंपनी यानी छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड को प्रति माह करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस आधार पर भी दिए गए लाइसेंस को रद्द करने की आवश्यकता है।

अपीलार्थी का तर्क कि 2005 के नियम आवेदन दाखिल करने के समय अस्तित्व में नहीं थे

अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. द्वारा वितरण लाइसेंस और इस तरह के लाइसेंस के अनुदान को नियम के उल्लंघन के आधार पर गलत नहीं माना जा सकता है, यह अत्यधिक गलत धारणा है, क्योंकि यह कानून की एक तय स्थिति है कि प्राधिकरण को इसे लागू करने की आवश्यकता है। आवेदन पर विचार किए जाने की तारीख से लागू नियम और कानूनी प्रावधान। इसके अलावा, अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. का यह तर्क कि स्पष्टीकरण केवल एक दिशानिर्देश की प्रकृति में है, भी किसी भी योग्यता से रहित है। इस संबंध में, प्रत्यर्थी संख्या 2 के वकील ने हावड़ा नगर निगम में इस न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णय पर भरोसा व्यक्त किया

2005 के नियमों के नियम 3 के स्पष्टीकरण को कानून का कोई अधिकार नहीं कहा जा सकता है। 2005 के नियमों को 2003 के अधिनियम की धारा 176 (1) और धारा 176 (2) (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। इसके अलावा जब से अपीलकर्ता-जे. एस. पी. एल. ने 2005 के नियमों के अधिकारों को भी चुनौती नहीं दी है, अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. को यह तर्क उठाने से रोक दिया गया है कि 2005 के नियमों के नियम 3 के स्पष्टीकरण को कानून का कोई अधिकार नहीं है।

यह तर्क कि अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. ने राज्य [2022] की सहमति/अनुमति के संदर्भ में प्रामाणिक रूप से कार्य किया।

सरकार को सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के तहत संरक्षित किया गया है और 2003 के अधिनियम की धारा 185 भी गलत धारणा और असमर्थनीय है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के वकील ने आग्रह किया कि अपीलीय न्यायाधिकरण में

विवादित निर्णय ने ठीक ही बताया कि राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों द्वारा दी गई सभी अनुमतियाँ विशेष रूप से 2003 के अधिनियम के तहत आयोग द्वारा दिए जाने वाले लाइसेंस के अधीन और सशर्त थीं। अतः अपीलार्थी का इस पर भरोसा करना गलत है - राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमतियाँ/सहमतिएँ क्योंकि अपीलार्थी 2005 के नियमों के नियम 3 के स्पष्टीकरण के तहत अनिवार्य आपूर्ति के न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

. 13 अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. का यह निवेदन कि धारा 14 के छठे परंतुक को नियम बनाने की शक्ति के दायरे को कम करने के लिए संशोधित किया गया है, भी गलत धारणा है। प्रतिस्थापन

'सम्मिलित' शब्द के स्थान पर 'संबंधित' शब्द का प्रयोग नियम बनाने की शक्ति के दायरे को सीमित करने के बराबर नहीं है। 'संबंधित' शब्द व्यापक आयाम का है और नहीं कर सकता है।

किसी भी तरह से प्रतिबंधात्मक रहें।

. 14 इसके अलावा, अपीलार्थी का प्रस्तुत करना कि

वितरण लाइसेंस जनहित में था जो किसी भी योग्यता से रहित है क्योंकि अपीलार्थी केवल अपना काम कर रहा है। ब्याज।

. 15 संक्षेप में, प्रत्यर्थी संख्या 2 के वकील ने सख्ती से

तर्क दिया कि 'आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र' जैसा कि प्रदान किया गया है

2005 के नियमों के नियम 3 का स्पष्टीकरण मौजूदा वितरण लाइसेंस की आपूर्ति के क्षेत्र में दूसरा या बाद का वितरण लाइसेंस देने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा यह तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण लाइसेंस देने के आदेश को रद्द करने में सही था

अपीलार्थी को।

5. विद्वान वरिष्ठ वकील और वकील को सुनने के बादपक्षकारों के मामले में, यह ध्यान दिया जाता है कि दोनों अपीलों में अपीलकर्ता दिनांकित 07.05.2008 आदेश लिख रहे हैं, जिसके तहत अपीलीय न्यायाधिकरण ने इसमें उत्तरदाताओं द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है, जिससे आयोग द्वारा दिनांकित 29.05.2005 को रद्द कर दिया गया है।

जिंदल स्टीलेंड पावर लिमिटेड। वी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

अपीलार्थी द्वारा अपने कैप्टिव बिजली संयंत्र से औद्योगिक इकाइयों को बिजली की आपूर्ति के लिए अपीलार्थी के पक्ष में दिया गया वितरण लाइसेंस

जिंदल औद्योगिक उद्यान में।

27. वर्तमान मामले में विभिन्न मुद्दों पर आगे विचार करने से पहले, हम 2003 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करेंगे। 2003 का अधिनियम, जहां तक धारा 1 से 120 और धारा 122 से 185 का संबंध है, 10.06.2003 पर लागू हुआ। 2003 के अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसे उत्पादन से संबंधित कानूनों को समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

पारेषण, वितरण, व्यापार और बिजली का उपयोग और आम तौर पर बिजली उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय करने के लिए,

उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करना, बिजली दरों को तर्कसंगत बनाना, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियों को सुनिश्चित करना, कुशल और कुशल उद्योगों को बढ़ावा देना।

पर्यावरण के अनुकूल नीतियां, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नियामक आयोगों का गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए। 28. 2003 के अधिनियम की धारा 2 परिभाषा खंड है और वर्तमान मामलों के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक परिभाषाएँ निम्नानुसार हैं:

" खंड 2. (परिभाषाएँ): --- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,--

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

(3) " आपूर्ति क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर वितरण किया जाता है।

लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति करने के लिए अपने लाइसेंस द्वारा अधिकृत है; (4) " उपयुक्त आयोग का अर्थ है धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विनियामक आयोग या धारा 82 में निर्दिष्ट राज्य विनियामक आयोग या धारा 83 में निर्दिष्ट संयुक्त आयोग, जैसा भी मामला हो;

XXXXXX

(38) " "अनुज्ञप्ति" से धारा 14 के तहत दिया गया अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(39) " अनुज्ञप्तिधारी "से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो।

धारा 14 के तहत;

XXXXXXX

(41) " "स्थानीय प्राधिकारी" से [2022] 7 एस. सी. आर. में गठित कोई भी नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, पंचायत अभिप्रेत है।

गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर, बंदरगाह आयुक्तों का निकाय या केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से हकदार या सौंपे गए अन्य प्राधिकरण;

XXXXXXX

(64) " राज्य आयोग का अर्थ है धारा 82 की उप-धारा (1) के तहत गठित राज्य विद्युत नियामक आयोग और इसमें धारा 82 की उप-धारा (1) के तहत गठित एक संयुक्त आयोग शामिल है।

धारा 83; "

29. 2003 के अधिनियम का भाग-2 राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित है।

योजना बनाएँ। 2003 के अधिनियम की धारा 3 के अनुपालन में, केंद्रीयआर. एन. एम. टी. ने 12 फरवरी को राष्ट्रीय विद्युत नीति को अधिसूचित किया है।

जिनके प्रासंगिक भाग निम्नानुसार निकाले गए हैं:

" 1.0 परिचय

एक्स. एक्स.

1.5 बिजली उद्योग पूंजी-गहन है जिसकी गर्भावस्था की अवधि लंबी है। बिजली उत्पादन के संसाधन पूरे देश में असमान रूप से फैले हुए हैं। बिजली एक ऐसी वस्तु है जो नहीं हो सकती

ग्रिड में संग्रहीत किया जाता है जहाँ मांग और आपूर्ति लगातार होनी चाहिए

संतुलित। देश की व्यापक रूप से वितरित और तेजी से बढ़ती मांग आवश्यकताओं को इष्टतम तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है।

1.6 विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत क्षेत्र के त्वरित और अधिक कुशल विकास के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान करता है। अधिनियम उपयुक्त लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। नियामक हस्तक्षेप। प्रतिस्पर्धा से दक्षता में लाभ होने की उम्मीद है और इसके परिणामस्वरूप बिजली की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति की उपलब्धता होगी

प्रतिस्पर्धी दरों पर उपभोक्ताओं के लिए।

1.7 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 (1) के तहत केंद्र सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी. ई. ए.) और राज्य के परामर्श से राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

सरकारें। प्रावधान नीचे उद्धृत किया गया है:

" केंद्र सरकार समय-समय पर तैयारी करेगी।

राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति, में

इष्टतम जिंदल स्टीलेंड पावर लिमिटेड पर आधारित बिजली प्रणाली के विकास के लिए राज्य सरकारों और प्राधिकरण के साथ परामर्श।

कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु पदार्थ या सामग्री, पनबिजली और नवीकरणीय स्रोतों जैसे संसाधनों का उपयोग

ऊर्जा "।

अधिनियम की धारा 3 (3) केंद्र सरकार को समय-समय पर राष्ट्रीय विद्युत नीति की समीक्षा या संशोधन करने में सक्षम बनाती है।

1.8 राष्ट्रीय विद्युत नीति का उद्देश्य बिजली क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना, सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति प्रदान करना और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना है।

इन संसाधनों के दोहन के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी, की अर्थव्यवस्था विभिन्न संसाधनों और ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों का उपयोग करके उत्पादन।

एक्स. एक्स.

5.4 वितरण

एक्स. एक्स.

5.4. 7 वितरण में प्रतिस्पर्धा पर अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में से एक उनकी स्वतंत्र वितरण प्रणालियों के माध्यम से आपूर्ति के एक ही क्षेत्र में कई लाइसेंसधारियों की अवधारणा है। राज्य सरकारों के पास सरकारी उपयोगिताओं का पुनर्गठन करते हुए वितरण क्षेत्रों को बनाने में पूरी तरह से लचीलापन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (क्यू) में परिभाषित एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक राजस्व जिले, एक नगर परिषद या एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम के क्षेत्र के भीतर दूसरे और बाद के वितरण लाइसेंस के अनुदान के लिए।

(74) को न्यूनतम क्षेत्र माना जा सकता है। भारत सरकार तीन महीने के भीतर अधिसूचित करेगी,

दूसरे के लिए आवेदक द्वारा अनुपालन की आवश्यकताएँ और

अधिनियम की धारा 14 में परिकल्पित बाद के वितरण लाइसेंस। उपभोक्ताओं के सभी वर्गों को प्रतिस्पर्धा का लाभ प्रदान करने के लिए, एक ही क्षेत्र में वितरण के लिए दूसरे और बाद के लाइसेंसधारी का दायित्व होगा कि वह बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार सभी उपभोक्ताओं को आपूर्ति करे। एस. ई. आर. सी. को अधिनियम के प्रावधानों के तहत वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वसूल किए जाने वाले कनेक्शन शुल्क सहित शुल्क को विनियमित करने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करेगा कि दूसरा वितरण लाइसेंसधारी माँग करके चेरी चुनने का सहारा न ले

उपभोक्ताओं से अनुचित कनेक्शन शुल्क। "[2022] 7 एस. सी. आर

30. भाग III बिजली उत्पादन से संबंधित है। अधिनियम का भाग IV इन मामलों के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह लाइसेंस देने से संबंधित है। धारा में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति (ए) बिजली संचारित नहीं करेगा; या (बी) वितरित नहीं करेगा।आई. सी. आई. टी.; या (सी) बिजली में व्यापार करना, जब तक कि वह धारा 14 के तहत जारी लाइसेंस द्वारा अधिकृत नहीं है, या धारा 13 में निर्धारित धारा के तहत छूट प्राप्त है। लाइसेंस का अनुदान

धारा 14 के अनुसार और लाइसेंस देने की प्रक्रिया को धारा 15 के साथ निपटाया गया है जबकि लाइसेंस की शर्तें धारा 16 के संदर्भ में हैं। उक्त अधिनियम की धारा 18 पर लाइसेंस के संशोधन की बात की गई है जबकि धारा

एन. सी. ए. आर. एन. एस. लाइसेंस का निरसन।

31. 2003 के अधिनियम की धारा 14 जो लाइसेंस देने से संबंधित है।

निम्नानुसारः

14. अनुज्ञप्ति प्रदान करना-उपयुक्त आयोग,

धारा 15 के तहत इसे किया गया आवेदन, किसी को भी लाइसेंस प्रदान करना।

व्यक्ति -

(क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में बिजली संचारित करना; या

((ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में बिजली वितरित करना; या (ग) बिजली व्यापारी के रूप में बिजली का व्यापार करना,

अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में: बशर्ते कि निर्धारित तिथि को या उससे पहले अनुसूची में निर्दिष्ट निरस्त कानूनों या किसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिजली के पारेषण या आपूर्ति के व्यवसाय में लगा कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत ऐसी अवधि के लिए अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा जो निरसित कानूनों या अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसे अधिनियम के तहत उसे दिए गए अनुज्ञप्ति, मंजूरी या अनुमोदन में निर्धारित की जाए, और ऐसे अनुज्ञप्ति के संबंध में निरस्त कानूनों या अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसे अधिनियम के प्रावधान इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी पूर्व अवधि के लिए लागू होंगे जो अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर, उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाए और उसके बाद इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे व्यवसाय पर लागू होंगेः

बशर्ते कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या

राज्य संचरण उपयोगिता को संचरण माना जाएगा

इस अधिनियम के तहत लाइसेंसधारीः बशर्ते कि यदि कोई उपयुक्त सरकार संचारित करती है

बिजली देता है या बिजली वितरित करता है या जिंदल स्टीलेंड पावर लिमिटेड में व्यापार करता है।

बिजली, चाहे वह शुरू होने से पहले हो या बाद में अधिनियम, ऐसी सरकार को इस अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी माना जाएगा, लेकिन इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगीः

बशर्ते कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत की गई हो।

निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14) को एक

इस अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी को लेकिन इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के प्रावधान, जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, उस निगम पर लागू होते रहेंगेः

बशर्ते कि सरकारी कंपनी या कंपनी

इस अधिनियम की धारा 131 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट और अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों के अनुसरण में बनाई गई कंपनी या कंपनियों को इस अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी माना जाएगाः

बशर्ते कि उपयुक्त आयोग लाइसेंस दे सकता है

एक ही क्षेत्र के भीतर अपनी स्वयं की वितरण प्रणाली के माध्यम से बिजली के वितरण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को, इस शर्त के अधीन कि एक ही क्षेत्र के भीतर लाइसेंस देने के लिए आवेदक, इस अधिनियम के तहत अन्य शर्तों या आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूंजी पर्याप्तता, ऋण-योग्यता या आचार संहिता से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं का पालन करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

आवेदक, जो अनुदान के लिए सभी आवश्यकताओं का पालन करता है अनुज्ञप्ति को इस आधार पर अनुज्ञप्ति देने से इनकार कर दिया जाएगा कि उसी उद्देश्य के लिए उसी क्षेत्र में पहले से ही एक अनुज्ञप्तिधारी मौजूद हैः

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां एक वितरण लाइसेंसधारी किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए बिजली का वितरण करने का प्रस्ताव करता है। किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसके आपूर्ति क्षेत्र में, उस व्यक्ति को संबंधित राज्य आयोग से कोई अलग लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसा वितरण लाइसेंसधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में बिजली के वितरण के लिए जिम्मेदार होगाः

बशर्ते कि जहां कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र में बिजली उत्पन्न करने और वितरित करने का इरादा रखता है, ऐसे व्यक्ति को बिजली के ऐसे उत्पादन और वितरण के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वह उन उपायों का पालन करेगा जो धारा 53 के तहत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैंः

बशर्ते कि एक वितरण लाइसेंसधारी को बिजली में व्यापार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

32. 2003 के अधिनियम की धारा 14 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि उपयुक्त आयोग, धारा के तहत उसे किए गए आवेदन पर

15 किसी व्यक्ति को (क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में बिजली संचारित करने के लिए; या (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में बिजली वितरित करने के लिए; या (ग) किसी भी क्षेत्र में बिजली व्यापारी के रूप में बिजली का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना।

लाइसेंस में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

33. 2003 के अधिनियम की धारा 14 के पहले तीन प्रावधान खंड बचाने की प्रकृति के हैं। चौथा और पाँचवाँ प्रावधान नहीं हैं

इन मामलों के लिए प्रासंगिक। छठे परंतुक में, जो विचाराधीन है, कहा गया है कि उपयुक्त आयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक ही क्षेत्र के भीतर अपनी स्वयं की वितरण प्रणाली के माध्यम से बिजली के वितरण के लिए लाइसेंस दे सकता है, बशर्ते कि उसी क्षेत्र के भीतर लाइसेंस देने के लिए आवेदक, अधिनियम के तहत अन्य शर्तों या आवश्यकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूंजी पर्याप्तता, साख योग्यता या आचार संहिता से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं का पालन करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

ऐसे आवेदक, जो लाइसेंस देने के लिए सभी आवश्यकताओं का पालन करता है, को इस आधार पर लाइसेंस देने से इनकार कर दिया जाएगा कि उसी उद्देश्य के लिए उसी क्षेत्र में पहले से ही एक लाइसेंसधारी मौजूद है। 34. केंद्र सरकार ने 2003 के अधिनियम की धारा 176 के अनुसार 2005 के नियम डब्ल्यू. ई. एफ. 23.03.2005 का प्रतिपादन किया था। नियम 3 इन मामलों के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है जिसे निम्नानुसार निकाला गया हैः

3. पूँजी पर्याप्तता और ऋण योग्यता की आवश्यकताएँ।

(1) उपयुक्त आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत बिजली वितरण के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदक को सुनने के बाद और उस क्षेत्र के भीतर आपूर्ति क्षेत्र के आकार और सेवा दायित्व को ध्यान में रखते हुए वितरण नेटवर्क के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता पर निर्णय लेगा।

43 .

(2) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक को उपयुक्त आयोग को यह संतुष्ट करना आवश्यक होगा कि उप-नियम (1) के तहत निर्धारित निवेश की लागत पर 30 प्रतिशत हिस्सेदारी के मानदंड पर, यदि आवेदक एक कंपनी है, तो प्रवर्तकों सहित वह मेसर्स पर परियोजना की ऐसी हिस्सेदारी के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा।

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। वी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

निवल संपत्ति का आधार और उसके बाद के पिछले तीन वर्षों में प्रवर्तकों सहित उसके व्यवसाय के आंतरिक संसाधनों का उत्पादन

उसके अन्य प्रतिबद्ध निवेशों को छोड़कर।

स्पष्टीकरण-अधिनियम की धारा 14 के छठे परंतुक के संदर्भ में उसी क्षेत्र के भीतर बिजली वितरण के लिए लाइसेंस देने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (क्यू) या राजस्व जिले में परिभाषित नगर परिषद या नगर निगम के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र होगा।

35. इन मामलों में विवाद नियम 3 के स्पष्टीकरण को दी जाने वाली व्याख्या को घेरता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, 2005 के विचाराधीन नियमों को अधिनियम की धारा 14 के छठे परंतुक को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। उक्त परंतुक तभी लागू होगा जब उपयुक्त आयोग एक ही क्षेत्र के भीतर अपनी वितरण प्रणाली के माध्यम से बिजली के वितरण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को लाइसेंस देना आवश्यक समझता है, ऐसे मामले में कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं जिन्हें आवेदक को पूंजी पर्याप्तता, साख योग्यता या आचार संहिता के संबंध में पूरा करना होगा। केवल उपरोक्त तीन पहलुओं के संबंध में ही 2005 के नियम निर्धारित किए गए हैं।

36. विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों के जवाब में

अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. अपीलार्थी द्वारा स्थापित औद्योगिक पार्क में शामिल क्षेत्र के लिए और केवल दो अन्य गाँवों के लिए है। अतः, उक्त अपीलार्थी को जारी लाइसेंस को दूषित कर दिया जाता है क्योंकि लाइसेंस में निर्धारित आपूर्ति का क्षेत्र 2005 के नियमों के नियम 3 के स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं है। 37. उपरोक्त विवाद का उत्तर देने के लिए, 'आपूर्ति के क्षेत्र' की परिभाषा और 2005 के नियमों के नियम 3 के स्पष्टीकरण के आलोक में नियम 14 के छठे परंतुक पर विचार करना आवश्यक होगा। उसी के संयुक्त पठन पर, यह ध्यान दिया जाता है कि धारा 14 का छठा परंतुक ऐसी स्थिति पर लागू होता है जहां उपयुक्त आयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक ही क्षेत्र के भीतर अपनी स्वयं की वितरण प्रणाली के माध्यम से बिजली के वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि आवेदक-जे. एस. पी. एल. अतिरिक्त आवश्यकताओं का पालन करता हो।

यह स्पष्ट है कि एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। बिजली वितरण के लिए। जहाँ तक धारा 14 के छठे परंतुक के तहत दो या दो से अधिक व्यक्तियों को लाइसेंस देने का संबंध है, नियम 3 का स्पष्टीकरण भारत के संविधान या राजस्व जिले के अनुच्छेद 243 (क्यू) के तहत परिभाषित नगर परिषद या नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को निर्धारित करता है। उपयुक्त आयोग द्वारा प्राधिकृत आपूर्ति का क्षेत्र आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र होगा।

38. 'आपूर्ति के क्षेत्र' को धारा 2 की उप-धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है वह क्षेत्र जिसके भीतर वितरण लाइसेंसधारी अधिकृत है। बिजली की आपूर्ति करने के लिए उसके लाइसेंस से। यह 'आपूर्ति का क्षेत्र' अनुच्छेद के तहत परिभाषित 'नगर परिषद या नगर निगम' के अंतर्गत आना चाहिए।

243 (प्र) भारत के संविधान या राजस्व जिले का। इसका मतलब है कि 'आपूर्ति का क्षेत्र' नगर परिषद या नगर निगम के स्थानीय प्राधिकरण के भीतर 'आना चाहिए जैसा कि उप-धारा 41 में परिभाषित किया गया है।

अधिनियम की धारा 2 या राजस्व जिला, जैसा भी मामला हो, और

आपूर्ति के किस क्षेत्र के भीतर बिजली वितरण के लिए लाइसेंस दिया जाता है। इसलिए, धारा 14 के छठे परंतुक में अभिव्यक्ति क्षेत्र को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (क्यू) या राजस्व जिले के तहत परिभाषित 'नगर परिषद या नगर निगम के भीतर आने वाले क्षेत्र' के रूप में समझाया गया है जो 'आपूर्ति का क्षेत्र' होगा। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, ऐसे क्षेत्र में दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें बिजली वितरित करने का लाइसेंस दिया जाता है जो लाइसेंस देने के प्रावधान के संदर्भ में है। जिस क्षेत्र के भीतर वे बिजली की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत हैं, वह आपूर्ति का क्षेत्र है और ऐसा 'आपूर्ति का क्षेत्र' जिसके संबंध में लाइसेंस के तहत प्राधिकरण दिया जाता है।

" आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र "। 39. इसलिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को नगर परिषद या नगर निगम बनाने वाले क्षेत्र के भीतर लाइसेंस दिया जाता है या

राजस्व जिला, उपरोक्त क्षेत्र के भीतर एक वितरण लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति करने का अधिकार आपूर्ति का वास्तविक क्षेत्र है।

और आपूर्ति का वास्तविक क्षेत्र जिसके संबंध में लाइसेंस के तहत प्राधिकरण दिया जाता है, आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र कहा जाता है।

40. इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि 'आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र' 'उस क्षेत्र के भीतर' आएगा जिसमें एक नगर परिषद या एक नगर निगम या एक राजस्व जिला शामिल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एम/एस की आपूर्ति करने का लाइसेंस।

जिंदल स्टीलेंड पावर लिमिटेड। वी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

एक क्षेत्र या आपूर्ति के क्षेत्र के लिए बिजली जो 'आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र' है, का विस्तार 'नगर परिषद या नगर निगम या राजस्व जिले' के भीतर आने वाले पूरे क्षेत्र तक होना चाहिए। 41. लेकिन यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा सुझाई गई व्याख्या को स्वीकार किया जाना है, तो अभिव्यक्ति 'क्षेत्र के भीतर आने वाला'

व्याख्या निरर्थक या अनावश्यक हो जाएगी। एक नगर परिषद या एक नगर निगम या एक राजस्व जिले को एक क्षेत्र के रूप में प्रदान करने का उद्देश्य एक मानक क्षेत्र प्रदान करना है, जिसके भीतर दो या

अधिक लोग बिजली वितरित कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि लाइसेंसधारी

पूरे मानक क्षेत्र में बिजली वितरित करनी चाहिए। उपयोग किए जाने वाले शब्द 'नगर परिषद या नगर निगम या राजस्व जिले के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र' हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि नगर परिषद या नगर निगम या राजस्व जिले का क्षेत्र या उसके बराबर का क्षेत्र। यह केवल नगर परिषद या नगर निगम या राजस्व जिले के भीतर आने वाले क्षेत्र में है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों को बिजली के वितरण के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है।

व्याख्या 2003 के अधिनियम की धारा 14 के छठे परंतुक में दो बार उपयोग किए गए एक ही क्षेत्र के भीतर अभिव्यक्तियों के उपयोग द्वारा समर्थित है। इसके अलावा, छठे परंतुक के साथ-साथ नियम 3 के स्पष्टीकरण में 'एक ही क्षेत्र के भीतर' अभिव्यक्ति का उपयोग एक ही अर्थ रखता है।

स्पष्टीकरण में 'नगर परिषद या नगर निगम या राजस्व जिले के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र' अभिव्यक्ति के लिए। इस प्रकार, 'एक ही क्षेत्र के भीतर' अभिव्यक्ति पूरे नगर परिषद या नगर निगम या राजस्व जिले को संदर्भित नहीं कर सकती है, लेकिन 'नगर परिषद या नगर निगम या राजस्व जिले के भीतर आने वाला क्षेत्र' जिसके संबंध में एक वितरण लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति के लिए अपने लाइसेंस द्वारा अधिकृत है। इसलिए, उपरोक्त द्वारा

व्याख्या में यह माना जाता है कि अधिकृत 'आपूर्ति का क्षेत्र' 'आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र' होगा।

43. अतः, प्रत्यर्थी सं. 2 का यह तर्क कि 'आपूर्ति के न्यूनतम क्षेत्र' में संपूर्ण 'नगर परिषद' या '

नगर निगम या राजस्व जिला सही नहीं है। तत्काल मामले में तर्क यह है कि अपीलकर्ता-जे. एस. पी. एल. को लाइसेंस की शर्तों के अनुसार 2005 के नियमों के नियम 3 के स्पष्टीकरण में दिए गए निर्देश का पालन नहीं करने पर बिजली की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए, [2022] 7 एस. सी. आर.

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लाइसेंस को सही ढंग से रद्द कर दिया गया था जिसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

44. दूसरी ओर, अपीलार्थी को दिए गए लाइसेंस को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 इस तथ्य से अवगत था

कि वह अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस दे रहा था कि उक्त अपीलार्थी ने एक औद्योगिक पार्क की स्थापना की थी जिसके लिए उसके पास बिजली के वितरण की जिम्मेदारी थी और इसके अलावा, बिजली के वितरण के उद्देश्य से औद्योगिक पार्क में शामिल क्षेत्र में दो और गाँव जोड़े गए थे। वह क्षेत्र जिसके संबंध में लाइसेंस दिया गया था और इस प्रकार प्राधिकरण प्रदान किया गया था

लाइसेंस में इंगित आपूर्ति के क्षेत्र के प्राधिकरण के अनुसार। इसका मतलब यह भी होगा कि लाइसेंसधारी लाइसेंस के तहत अधिकृत आपूर्ति क्षेत्र से परे किसी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी नगर परिषद या नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के संबंध में निगम या राजस्व जिला, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें निर्दिष्ट आपूर्ति के संबंधित क्षेत्र के संदर्भ में बिजली वितरित करने के लिए लाइसेंस और प्राधिकरण दिया जा सकता है।

45. उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से दी गई दलीलों में कोई सार नहीं पाते हैं। जिस पर दूसरी ओर, सी. ए. सं. में प्रत्यर्थी सं. 1 आयोग द्वारा पारित आदेश को पढ़ने पर। 3607-3610 2008 में, हम पाते हैं कि बिजली के वितरण के लिए अपीलार्थी को दिए गए लाइसेंस पर विचार किया गया है।

46. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण को दिए गए लाइसेंस को रद्द करने/रद्द करने में सही नहीं था।

अपीलार्थी-जे. एस. पी. एल. और इसलिए, विवादित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है।

47. परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमति दी जाती है और अपीलीय न्यायाधिकरण के विवादित सामान्य निर्णय को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

एम/एस। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। वी. छत्तीसगढ़ राज्य 417 निर्वाचन नियामक आयोग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

48. नतीजतन, लंबित आवेदनों का निपटान ए द्वारा किया जाता है और यदि सलाह दी जाती है तो कानून के अनुसार उपचार की मांग करने वाले आवेदकों को छूट दी जाती है।

49. दल अपन-अपन लागत वहन करत।

देविका गुजराल

(शेवाली मोंगा, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)